रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एन.-अ.-21072025-264858
CG-MN-E-21072025-264858

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2025/आषाढ 30, 1947
No. 518] NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947

मणिपुर विश्वविद्यालय

अधिसूचना

इम्फाल, 18 मार्च, 2025

सं. म.वि.वि./2-2/2025.—मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष ने मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 15 (1) के संशोधन को निम्नलिखित रूप में अनुमोदित करने की कृपा की है:

15 (1) (क) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन संकाय स्थापित किए जा सकते हैं:-

1. अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन अध्ययन संकाय
2. शिक्षा संकाय
3. अभियांत्रिकी संकाय
4. मानव एवं पर्यावरण विज्ञान संकाय
5. मानविकी संकाय
6. जीव विज्ञान संकाय
7. चिकित्सा विज्ञान संकाय
8. प्रदर्शन एवं ललित कला संकाय

9. गणित एवं भौतिक विज्ञान संकाय

10. सामाजिक विज्ञान संकाय

(ख) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग स्थापित किए जा सकते हैं:-

1. प्रौढ़, सतत शिक्षा एवं विस्तार
2. संज्ञाहरण विज्ञान
3. शरीर रचना विज्ञान
4. मानव विज्ञान
5. जैव रसायन विज्ञान
6. जैव रसायन विज्ञान (चिकित्सा)
7. जैव सांख्यिकी
8. जैव प्रौद्योगिकी
9. रसायन विज्ञान
10. सिविल अभियांत्रिकी
11. नैदानिक मनोविज्ञान
12. वाणिज्य
13. सामुदायिक चिकित्सा
14. कंप्यूटर विज्ञान
15. सांस्कृतिक अध्ययन
16. नृत्य एवं संगीत*
17. दंत चिकित्सा
18. त्वचा विज्ञान, यौन संचारित रोग और कुष्ठ रोग
19. पृथ्वी विज्ञान
20. अर्थशास्त्र
21. शिक्षा
22. विद्युत अभियांत्रिकी
23. विद्युत
24. विद्युत एवं संचार अभियांत्रिकी
25. शिक्षा
26. ललित कला
27. लोक साहित्य अध्ययन*
28. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
29. विदेशी भाषाएं
30. न्यायिक चिकित्सा
31. भूगोल
32. हिंदी
33. इतिहास
34. गृह विज्ञान
35. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
36. बागवानी
37. मानवाधिकार
38. भारतीय भाषाएं
39. विधि
40. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
41. जीव विज्ञान
42. भाषा विज्ञान
43. प्रबंधन अध्ययन
44. मणिपुरी
45. म्यांमा अध्ययन*
46. जन संचार
47. गणित
48. यांत्रिक अभियांत्रकी
49. चिकित्सा
50. सूक्ष्मजीव विज्ञान
51. प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान
52. नेत्र विज्ञान
53. हड्डी रोग
54. कर्ण-नाक-कंठ रोग विज्ञान
55. बाल रोग
56. विकृति विज्ञान
57. औषध विज्ञान
58. दर्शनशास्त्र
59. भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
60. शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान

61. भौतिकी
62. शरीर क्रिया विज्ञान
63. राजनीति विज्ञान
64. मनोरोग विज्ञान
65. मनोविज्ञान
66. विकिरण निदान
67. विकिरण चिकित्सा
68. ग्रामीण विकास
69. शल्य चिकित्सा
70. सामाजिक कार्य
71. समाजशास्त्र
72. दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन*
73. सांख्यिकी
74. अध्यापक शिक्षा*
75. क्षय रोग एवं श्वसन चिकित्सा
76. मूत्रविज्ञान

प्रोफेसर टीएच. विनय सिंह, प्रभारी कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./251/2025-26]

MANIPUR UNIVERSITY

NOTIF ICATION

Imphal, the 18th March, 2025

No. MU/2-2/2025.—The Visitor, Manipur University has been pleased to approve the amendment of the Statute 15(1) of the Manipur University Act, 2005 as under:-

15(1) (a) The following Schools of Studies may be established in the University:-

1. School of Economics and Management Studies
2. School of Education*
3. School of Engineering
4. School of Human and Environmental Sciences
5. School of Humanities
6. School of Life Sciences
7. School of Medical Sciences
8. School of Performing and Fine Arts
9. School of Mathematical and Physical Sciences
10. School of Social Sciences

(b) The following Departments may be established in the University:-

Department of:-

1. Adult, Continuing Education and Extension
2. Anaesthesiology
3. Anatomy
4. Anthropology
5. Biochemistry
6. Biochemistry (Medical)
7. Biostatistics
8. Biotechnology
9. Chemistry
10. Civil Engineering
11. Clinical Psychology
12. Commerce
13. Community Medicine
14. Computer Science
15. Cultural Studies
24. Electronics and Communications
25. English
26. Fine Art
27. Folklore Studies*
28. Food Processing Technology
29. Foreign Languages
30. Forensic Medicine
31. Forestry & Environmental Science*
32. Geography
33. Hindi
34. History
35. Home Science
36. Horticulture
37. Human Rights
38. Indian Languages

16. Dance & Music*
17. Dentistry
18. Dermatology, STD and Leprosy
19. Earth Sciences
20. Economics
21. Education
22. Electrical Engineering
23. Electronics
39. Law
40. Library & Information Science
41. Life Sciences
42. Linguistics
43. Management Studies
44. Manipuri
45. Myanmar Studies*
46. Mass Communication
47. Mathematics
48. Mechanical Engineering
49. Medicine
50. Microbiology
51. Obstetrics & Gynaecology
52. Ophthalmology
53. Orthopaedics
54. Otorhinolaryngology
55. Paediatrics
56. Pathology
57. Pharmacology
58. Philosophy
59. Physical Medicine & Rehabilitation
60. Physical Education & Sports Science
61. Physics
62. Physiology
63. Political Science
64. Psychiatry
65. Psychology
66. Radio Diagnosis
67. Radiotherapy
68. Rural Development
69. Surgery
70. Social Work
71. Sociology
72. South East Asian Studies*
73. Statistics
74. Teacher Education*
75. Tuberculosis and Respiratory Medicine
76. Urology

Prof. Th. BINOY SINGH, Registrar i/c

[ADVT. III/4/251/2025-26]

इम्फाल, 18 मार्च, 2025

सं. म.वि.वि./2-2/2025.—मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष ने मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 19 (2) के संशोधन को निम्नलिखित रूप में अनुमोदित करने की कृपा की है:

19 (2) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष, महाविद्यालयों के प्राचार्य, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए चयन समितियां

I. विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य

क. विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद हेतु चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

1. चयन समिति की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी।
2. संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ, जिन्हें विश्वविद्यालय की संबंधित वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
3. संबंधित संकाय के अधिष्ठाता, जहां लागू हो।
4. संबंधित विभाग अथवा संकाय के अध्यक्ष / प्रमुख
5. एक शिक्षाविद्, जिसे कुलाध्यक्ष / कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाएगा, जहां लागू हो।
6. यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग श्रेणियों में से किसी

श्रेणी से संबंधित कोई अभ्यर्थी हो और चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित न हो, तो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद् को कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।

ख. कोरम की पूर्ति के लिए कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी, जिनमें दो बाह्य विषय विशेषज्ञ होने चाहिए।

II. विश्वविद्यालय में सह आचार्य

क. विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद हेतु चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

1. चयन समिति की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी।
2. एक शिक्षाविद्, जो कुलाध्यक्ष / कुलाधिपति द्वारा नामित हो, जहां लागू हो।
3. संबंधित विषय / क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ, जिन्हें विश्वविद्यालय की संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
4. संकाय के अधिष्ठाता, जहां लागू हो।
5. विभाग / संकाय के अध्यक्ष / प्रमुख
6. यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग श्रेणियों में से किसी श्रेणी से संबंधित कोई अभ्यर्थी हो, और चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित न हो, तो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद् को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।

ख. कोरम की पूर्ति के लिए कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिनमें दो बाह्य विषय विशेषज्ञ होने चाहिए।

III. विश्वविद्यालय में आचार्य

विश्वविद्यालय में आचार्य के पद हेतु चयन समिति की संरचना, सह आचार्य के पद हेतु चयन समिति की संरचना के समान होगी।

IV. महाविद्यालय के प्राचार्य

क. महाविद्यालय के प्राचार्य के पद हेतु चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

1. प्रबंध निकाय के अध्यक्ष, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. प्रबंध निकाय के दो सदस्य, जिनमें से एक शैक्षणिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा, प्रबंध निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे।
3. कुलपति के एक नामांकित सदस्य, जो उच्च शिक्षा विशेषज्ञ होंगे। यदि महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में अधिसूचित / घोषित किया गया है, तो महाविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा, संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनुशंसित पांच नामों के पैनल में से, अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदायों से, एक सदस्य नामित किया जाएगा, जिसमें से एक विषय विशेषज्ञ होना अनिवार्य होगा।
4. तीन विशेषज्ञ, जिनमें एक महाविद्यालय के प्राचार्य, एक आचार्य तथा एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् (जो आचार्य के पद से नीचे नहीं हों) शामिल होंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित छह विशेषज्ञों के पैनल में से महाविद्यालय की प्रबंध निकाय द्वारा नामित किया जाएगा।
5. यदि उक्त श्रेणियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग) में से किसी श्रेणी से संबंधित कोई अभ्यर्थी हो, तथा चयन समिति के उपर्युक्त सदस्य उन श्रेणियों में से किसी से संबंधित न हों, तो कुलपति द्वारा उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद् को नामित किया जाएगा।

ख. कम से कम पांच सदस्य, जिनमें दो विशेषज्ञ शामिल हों, को कोरम के रूप में माना जाएगा।

ग. चयन समिति की बैठक के दिन ही चयन प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएंगी, जिसमें प्राप्तांक प्रपत्र सहित कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा तथा योग्यता के आधार पर अनुशंसा करते हुए चयनित एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों/नामों के पैनल की सूची, योग्यता क्रम में तैयार की जाएगी, जिस पर चयन समिति के सभी सदस्यों के विधिवत हस्ताक्षर होंगे।

घ. महाविद्यालय प्राचार्य की नियुक्ति की अवधि पांच वर्ष होगी तथा वह केवल एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, बशर्ते कि पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया समान चयन समिति के माध्यम से की जाए।

V. शारीरिक शिक्षा एवं खेल के निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, पुस्तकालयाध्यक्ष, उपपुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

शारीरिक शिक्षा एवं खेल के निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, पुस्तकालयाध्यक्ष, उपपुस्तकालयाध्यक्ष तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए चयन समितियां क्रमशः आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य की चयन समितियों के समान होंगी, केवल इस अपवाद के साथ कि संबंधित विषय में विशेषज्ञ — जैसे शारीरिक शिक्षा एवं खेल, खेल प्रशासन अथवा पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक निदेशक के अभ्यासरत (जिस प्रकार लागू हो) — को चयन समिति में एक विषय विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

VI. कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना

1. चयन समिति के अध्यक्ष कुलपति होंगे।
2. एक शिक्षाविद् जो कुलाध्यक्षकुलाधिपति द्वारा नामित हो।/
3. संबंधित विषयक्षेत्र के तीन विशेषज्ञ/, जो कुलपति द्वारा अनुशंसित तथा कार्य परिषदसिंडिकेट द्वारा अनुमोदित / सूची में से हों।
4. संकायाध्यक्ष
5. विभागाध्यक्ष

न्यूनतम चार सदस्य, जिनमें दो बाह्य विशेषज्ञ शामिल हों, को कोरम की पूर्ति के लिए आवश्यक माना जाएगा।

प्रोफेसर टीएच. विनय सिंह, प्रभारी कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./251/2025-26]

Imphal, the 18th March, 2025

No. MU/2-2/2025.—The Visitor, Manipur University has been pleased to approve the amendment of the Statute 19(2) of the Manipur University Act, 2005 as under:-

19(2) Selection Committees for appointment of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Librarian, Principal of Colleges, Registrar/Finance Officer/Controller of Examinations

II. Assistant Professor in the University

(a) The Selection Committee for the post of Assistant Professor in the University shall have the following composition:

1. The Vice-Chancellor shall be the chairperson of the Selection Committee.
2. Three experts in the concerned subject nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university concerned.
3. Dean of the concerned faculty, wherever applicable.
4. Head/Chairperson of the Department/School.
5. An academician nominated by the Visitor/Chancellor, wherever applicable.
6. An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor or Acting Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

(b) At least four members, including two outside subject experts shall constitute the quorum.

II. Associate Professor in the University

(a) The Selection Committee for the post of Associate Professor in the University shall have the following composition:

1. Vice-Chancellor to be Chairperson of the Selection Committee.
2. An academician who is the nominee of the Visitor/chancellor, wherever applicable.
3. Three experts in the concerned subject/field nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university concerned.
4. Dean of the faculty, wherever applicable.
5. Head/Chairperson of the Department/School.
6. An academician representing SC/ST/OBC/ Minority/ Women/ Differently-able categories, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

(b) At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

III. Professor in the University

The composition of the Selection Committee for the post of Professor in the University shall be similar in composition as that for the post of Associate Professor.

IV. College Principal

(a) The Selection Committee for the post of College Principal shall have the following composition:

1. Chairperson of the Governing Body as Chairperson.
2. Two members of the Governing Body of the college to be nominated by the Chairperson of whom one shall be an expert in academic administration.
3. One nominee of the Vice-Chancellor who shall be a Higher Education expert. In case of colleges notified/declared as minority educational institutions, one nominee of the Chairperson of the College from out of a panel of five names preferable from minority communities, recommended by the Vice-Chancellor of the affiliating university of whom one should be a subject expert.
4. Three experts consisting of the Principal of a college, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor (to be nominated by the Governing Body of the college) out of a panel of six experts approved by the relevant statutory body of the university concerned.
5. An academician representing SC/ST/OBC/ Minority/ Women/ differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant , to be nominated by the Vice-chancellor, if any of the above members or the selection committee do not belong to that category.

(b) At least five members, including two experts, should constitute the quorum.

(c) All the selection procedures of the selection committee shall be completed on the day of the selection committee meeting itself, wherein, minutes are recorded along with the scoring proforma and recommendation made on the basis of merit with the list of selected and waitlisted candidates/panel of names in order of merit, duly signed by all members of the selection committee.

(d) The term of appointment of the college principal shall be FIVE years with eligibility for reappointment for one more term only after a similar selection committee process.

V. Director, Deputy Director, Assistant Director of Physical Education & Sports, Librarian, Deputy Librarian and Assistant Librarian

Selection Committees for the post of Directors, Deputy directors, Assistant directors of Physical Education & Sports, Librarians, deputy Librarians and Assistant Librarians shall be the same as that of Professor, Associate Professor and Assistant Professors respectively, except that the concerned expert in Physical Education and Sports or Sports Administration or Library, practicing

Librarian/Physical Director, as the case may be, shall be associated with the Selection committee as one of the subject experts.

VI. The composition of the selection committee for appointment of Registrar/ Finance Officer/ Controller of Examinations

1. Vice-Chancellor to be the chairperson of the Selection Committee
2. An academician who is the nominee of the Visitor/Chancellor
3. Three experts in the concerned subject/field, out of the list recommended by the Vice-Chancellor and approved by the Executive Council/ Syndicate
4. Dean of the Faculty
5. Head/Chairperson of the Department

At least four members, including two outside experts, must constitute the quorum.

Prof. Th. BINOY SINGH, Registrar i/c

[ADVT. III/4/251/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.21 16:40:37 +05'30'